प्रकरण संख्या 62/2024 श्रीमती सुन्दरबाई बनाम ईश्वरलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.01.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में चुन्नीलाल पिता हीरालाल ने वर्ष 1982 में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जावड़, तहसील मावली में आराजी नंबर 1633 रकबा 37 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसे खेडारो पायरो के नाम से पुकारा जाता है जो वर्तमान जमाबन्दी में भैरूलाल 1/3, केवलराम 1/3 एवं चुन्नीलाल 1/3 हिस्सा अनुसार दर्ज है। गत सेटलमेन्ट में उक्त आराजी के तीन आराजी नंबर 2027/1, 2028/1, 2029/1 ग कुल किता 3 रकबा 28 बीघा 5 बिस्वा थे। वर्तमान सेटलमेन्ट में जरीब की लम्बाई कम हो जाने से रेगा 37 बीघा 18 बिस्वा हो गया, लेकिन एक ही चक होने से एक ही आराजी नंबर 1633 बना दिया गया। मूल पुरूष धुला जी के दो पुत्र हीरालाल व जयकिशन हुए। जयकिशन के तीन पुत्र भैरूलाल, चुन्नीलाल एवं केवलराम हुए। हीरालाल के कोई पुत्र नहीं होने से वादी चुन्नीलाल हीरालाल के गोद चला गया तथा हीरालाल की मृत्यु होने पर वादी उनकी समस्त चल अचल सम्पत्ति का आधिपत्यधारी बन गया तथा जयकिशन की मृत्यु के बाद उसकी भूमि के स्वामी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भैरूलाल व केवलराम बन गये। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है एवं इसी अनुसार पक्षकारान काबिज चले आ रहे हैं तथा राजस्व रेकार्ड में भी वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ, किन्तु सेटलमेन्ट के दौरान सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी ने 1/2 को काटकर उसके स्थान पर 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया, किन्तु वादी द्वारा आपत्ति करने पर दिनांक 28.02.1970 को गत इन्द्राज के आधार पर पुनः 1/2 हिस्सा दर्ज करने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश दोनों पक्षों को सुनकर दिया गया, प्रतिवादीगण ने उस समय तो कोई आपत्ति नहीं की, किन्तु दिनांक 25.04.1973 को सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया,जिस पर सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी ने पुनः दिनांक 22.05.1973 वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जो वादी को सूचना दिया जाकर पूर्णतया	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 18:00:03 IST
Reason: SelfAttested

अवैधानिक है। उक्त आदेश के आधार पर वादी का पुनः 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया गया है, जो वादी के मुकाबले प्रारम्भ से प्रभाव शून्य है। विवादित आराजी नंबर 1633 के दक्षिण में आराजी नंबर 5447/1633 रकबा 8 बीघा भूमि स्थित है, जो बिलानाम होकर सिवायचक दर्ज है। इस भूमि को भी खेडारो पायरो के नाम से जाना जाता है, जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने मिलकर आबाद किया है तथा तीनों का समान कब्जा है। यदि प्रतिवादी ने वादी का 1/3 हिस्सा सेटलमेन्ट के निर्णय के आधार पर बताते हैं तो वह 1/3 हिस्सा इस नाजायज कब्जे वाली आराजी नंबर 5447/1633 में है, न कि विवादग्रस्त भूमि में। अतः वादी को विवादित आराजी नंबर 1633 रकबा 37 बीघा 18 बिस्वा के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर विभाजन किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय में दौराने वाद कार्यवाही वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु हो जाने से उनके वारिसान को रेकार्ड पर लिया गया तथा दिनांक 13.06.1988 को निर्णय पारित करते हुए वादी को विवादित आराजी नंबर 1633 रकबा 37 बीघा 18 बिस्वा के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 15.07.2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अजयसिंह हाजा उपस्थित हुए तथा लिखित बहस प्रस्तुत की, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 96 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी चुन्नीलाल की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीया का उक्त भूमि में कानूनन अधिकार है, जबकि उसे पक्षकार बनाये बिना एवं बिना नोटिस जारी किये निर्णय व डिक्री पारित

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 18:00:03 IST
Reason: SelfAttested

कर दी गयी, जिससे प्रार्थीया के हित अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि स्वर्गीय चुन्नीलाल जी ने दिनांक 19.09.1981 को एक वसीयतनामा निष्पादित किया, जिसकी अक्षरशः पालना होकर अपीलान्ट को पृथक से भूमि दी गयी है, वादग्रस्त भूमि में अपीलान्ट का कोई हित व अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. खारिज किया जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीया द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया वादी स्वर्गीय चुन्नीलाल की पुत्री है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया प्रथम दृष्टया हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार होने से उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीया को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया, न ही उसे कोई नोटिस दिया गया, जिससे उसे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का युक्ति–युक्त कारण होने से देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.06.1988 को निर्णय पारित किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को प्रारम्भ से ही थी, फिर भी उनके द्वारा 29 वर्ष विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गयी है तथा देरी का कोई उचित एवं पर्याप्त कारण उनके द्वारा नहीं बताया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.1988 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अपील इस न्यायालय में दिनांक 15.07.2024 को प्रस्तुत की गयी है, जो करीब

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 18:00:03 IST
Reason: SelfAttested

36 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, किन्तु चूंकि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थी तथा पूर्व में उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को होने की प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल ने अपने तमाम निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जहां तक संभव हो प्रकरण का निस्तारण गुण दोष के आधार पर किया जावे। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगण न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट चुन्नीलाल की पुत्री है, किन्तु वादी चुन्नीलाल की मृत्यु होने पर नामकायमी के आवेदन चुन्नीलाल के मृतक पुत्र भंवरलाल के वारिसान अर्थात चुन्नीलाल के पौत्र एवं पौत्री को ही पक्षकार बनाया गया है, जबकि अपीलान्ट जो चुन्नीलाल की जाईन्दा पुत्री है, उसे पक्षकार नहीं बनाया गया तथा रेस्पोन्डेन्ट द्वारा तथ्यों को छुपाकर डिक्री प्राप्त कर ली गयी है, जिससे अपीलान्ट के हित प्रभावित हो रहे हैं। तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गयी डिक्री की कानूनन कोई मियाद नहीं होती है, जैसाकि RRD 1994 Page 604 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। विवादित आराजी में चुन्नीलाल को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है तथा अपीलान्ट चुन्नीलाल की जाईन्दा पुत्री होने से उसका भी विवादित आराजी में 1/4 हिस्सा निहित है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलान्ट को विवादित आराजी के 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये स्थायी1 निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRD 1994 Page 668, RRD 1994 Page 605, RRT 2024 (1) Page 353, DNJ 2006 (SC) Page 934 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट मात्र चुन्नीलाल की पुत्री होने के आधार पर वादग्रस्त भूमि को प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हो जाती है। स्वर्गीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 18:00:03 IST
Reason: SelfAttested

चुन्नीलाल ने अपीलान्ट को पृथक से भूमि दे दी थी, विवादित भूमि में अपीलान्ट का कोई हक व अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलान्ट वादी स्वर्गीय चुन्नीलाल की जाईन्दा पुत्री है एवं इस तथ्य से रेस्पोन्डेन्टगण ने भी इंकार नहीं किया है, उनकी सिर्फ यह आपत्ति है कि अपीलान्ट को मृतक चुन्नीलाल जी द्वारा पृथक से भूमि दी जा चुकी है तथा विवादित भूमि में उसका कोई हक व अधिकार नहीं है। हम प्रकरण में यह पाते हैं कि अपीलान्ट वादी स्वर्गीय चुन्नीलाल की जाईन्दा पुत्री होने से हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम अनुसार विवादित भूमि में उसका जन्म से हक अधिकार निहित है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नवीनतम न्यायिक नजीर RRT 2024 (1) Page 353 में माननीन राजस्व मण्डल, अजमेर ने सलमा देवी बनाम भीमसिंह में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्रार्थीया मूल खातेदार की पुत्री होने से उसका भी अपने पिता की सम्पत्ति में बराबर हक व हिस्सा निहित है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 1/83 निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.1988 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट को प्रतिवादी के रूप में संस्थित कर तथा उसे सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.03.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 18:00:03 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.01.22 18:00:03 IST
Reason: SelfAttested